

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स

नया रायपुर (छ.ग.)

3190

क्र...../एफ-1-8/छ.ग.सिं.प्र.नियम 2006/एस-2/2012(पार्ट), रायपुर, दि. 11/7/15 /06/2015

प्रति,

उप संचालक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
गोंदवारा, भनपुरी,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 में संशोधन की अधिसूचना का छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन करने के संबंध में।

—00—

संशोधन अधिसूचना क्रमांक— एफ-1-8/छ.ग.सिं.प्र.नियम 2006/एस-2/2012 (पार्ट), रायपुर, दिनांक 26.06.2015 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न कर प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है।

कृपया आदेशानुसार उक्त अधिसूचना का छत्तीसगढ़ राजपत्र (साधारण) के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सहपत्र :- 2 (प्रतियों में)।
(सी.डी.सहित)

(एम.एल.गुप्ता)

उप सचिव

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, नया रायपुर

3191

पृ.क्र...../एफ-1-8/छ.ग.सिं.प्र.नियम 2006/एस-2/2012(पार्ट), रायपुर, दि. 11/7/15 /06/2015

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया शासकीय मुद्रणालय से संपर्क कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियां भेजना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :-उपरोक्तानुसार।

उप सचिव

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

—: अधिसूचना —:

दिनांक /06/2015

क्र. एफ-1-8/31/छ.ग.सि.प्र.नियम 2006/एस-2/2012 (पार्ट) :- छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की प्रस्तावना में, -

कोष्टक, शब्द एवं अंक "(क्रमांक 7 सन् 2006)" के स्थान पर, कोष्टक, शब्द एवं अंक "(क्रमांक 20 सन् 2006)" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एल.गुप्ता)

उप सचिव,

जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर

**Govt. of Chhattisgarh
Water Resources Department
Mantralaya, Mahanadi Bhawan,
Naya Raipur (C.G.)**

//Notification/

Dated /06/ 2015

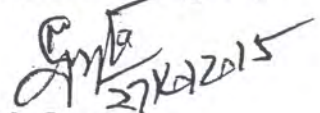
No. F-1-8/31/CGSPNiyam 2006/S-2/2012(Part) : In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam 2006 (No. 20 of 2006), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Niyam, 2006, namely :-

AMENDMENT

In preamble of the said rules,-

For the paranthesis, words and figure "(Act 7 of 2006)", the paranthesis, words and figure "(No. 20 of 2006)" shall be substituted.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,


(M.L.Gupta)

Deputy Secretary
Water Resources Department